



# सिगरा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय फिटनेस सेंटर की होगी सुविधा, आईसीसी के मा

का रास्ता खुलने के बाद निर्यातक किसानों के दूसरी जहाजों को शामिल करने की तैयारी है। सूत बदलेगी। पीएम के इस दौर में लकड़ी बाड़ों को



**बड़ौदा यू. पी. बैंक Baroda U.P. Bank**  
(पूर्वतली काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक) (Sponsored by Bank of Baroda)  
प्रधान कार्यालय: बुद्ध विहार व्यावसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर-273016  
क्षेत्रीय कार्यालय, चौक आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

**सार्वजनिक नीलामी**  
**14.07.2022**

**बिक्री सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)**

वित्तीय आरिक्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

यह कि बड़ौदा यू. पी. बैंक के अधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय आरिक्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण और प्रतिभूति प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट 2002) की धारा 13(12) संपादित नियम 8 व 9 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/बन्धककर्ता(ओं) को नग्न पत्र जारी किया गया है जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी है। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) के बन्धककर्ता(ओं) बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बन्धककर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू. पी. बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है, जिसका विवरण अधोवर्णित है ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/बन्धककर्ता(ओं) को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करे यह सम्पत्ति बड़ौदा यू. पी. बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्च देय है यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/बन्धककर्ता(ओं) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्तियों की निविदा/बिड्स/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की बिक्री निम्नानुसार वर्णित तिथित के अनुसार ' जो है जैसा है, तथा 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर की जायेगी। अतः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेंडर बंद निविदा के माध्यम से दिनांक 13.07.2022 तक बड़ौदा यू. पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- चौक, आजमगढ़- उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत कर सकते हैं। सार्वजनिक निविदा तिथि 14.07.2022 को दोपहर 11.00 से 4.00 बजे तक बड़ौदा यू. पी. बैंक क्षेत्रीय कार्यालय- चौक, आजमगढ़- उत्तर प्रदेश में खोली जायेगी

क्र. सं.	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता	सम्पत्ति का विवरण/ स्वामी का नाम	मांग सूचना तिथि अधिग्रहण की तिथि/प्राचुर सांकेतिक/भौतिक	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य/ ई.एम.डी
1.	ऋणी- मेरसस आनन्द प्लाई एण्ड हार्ड वेयर, प्रोपराईटर- श्री जयचन्द्र विश्वकर्मा पुत्र श्री तीर्थ विश्वकर्मा, पता: ग्राम- सेताकौली, पोस्ट- बैजाबारी, आजमगढ़, जमानतदार- (1) श्री राजा राम सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, पता: ग्राम+पोस्ट- लाटघाट, जिला आजमगढ़, (2) श्री वृजमान सिंह पुत्र रव्य श्री प्रवृत्ति सिंह, पता: ग्राम- बेलकुण्डा, पोस्ट- बैजाबारी, आजमगढ़, शाखा-लाटघाट, आजमगढ़, खाता सं. CC-111165010060189	सम्यक बंधक- श्री जयचन्द्र विश्वकर्मा पुत्र श्री तीर्थ विश्वकर्मा के नाम रक्षित है। गाटा/प्लाट सं. 0 154, विक्रय विलेख सं. 0 778, दिनांक 10.02.2015, ग्राम- बेलकुण्डा, परगना व तहसील- सगड़ी, जिला- आजमगढ़, क्षेत्रफल- 14 कड़ी चौहद्दी: उत्तर- रोड लाटघाट से रोनापार, दक्षिण- जमीन बेलमद, पूरब- मकान बेलमद, पश्चिम- मकान गुलाब	08.02.2018 30.11.2018	Rs. 809721.50 As on 31.12.2017 + ब्याज एवं अन्य खर्च	1402000/- आरक्षित मूल्य 1,40,200/- ई.एम.डी
2.	ऋणी- श्री शम्भूनाथ सोनार पुत्र राजेन्द्र वर्मा व श्रीमती कोशिका देवी पत्नी राजेन्द्र वर्मा, पता: ग्राम- बेलकुण्डा, पोस्ट- बैजाबारी, आजमगढ़, जमानतदार- (1) श्री शोबनाथ मोर्या पुत्र श्री सुभाष मोर्या, पता: ग्राम- सेताकौली, पोस्ट- बैजाबारी, जिला- आजमगढ़, (2) श्रीमती फूलमती देवी पत्नी केशव यादव; पता: ग्राम- मोचीपुर, पोस्ट- लाटघाट, जिला- आजमगढ़ शाखा-लाटघाट, आजमगढ़, खाता सं. HBL-111166510032117	सम्यक बंधक- श्रीमती कोशिका देवी पत्नी राजेन्द्र वर्मा उर्फ राजेन्द्र सोनार के नाम रक्षित है। गाटा/प्लाट सं. 0 270, विक्रय विलेख सं. 0 305, दिनांक 28.01.2010, ग्राम- बेलकुण्डा, पोस्ट- बैजाबारी, परगना व तहसील- सगड़ी, जिला- आजमगढ़, क्षेत्रफल- 40 कड़ी चौहद्दी: उत्तर- रोड यादव मकान गुलाब व रामनयन, दक्षिण- जमीन अशोक मिश्रा, पूरब- मकान सचिदानन्द मिश्रा, पश्चिम- पिच रोड	03.11.2018 14.02.2019	Rs. 939213.50 As on 30.09.2018 + ब्याज एवं अन्य खर्च	1758600/- आरक्षित मूल्य 1,75,860/- ई.एम.डी
3.	ऋणी- श्रीमती बिरमिल खातून पत्नी रशीद कुरेशी, पता: वार्ड नं. 0-9, मोहल्ला- बाजबहादुर, पोस्ट- सदर, जिला- आजमगढ़, जमानतदार- (1) श्री किताबुद्दीन पुत्र मुल्ला, पता: मोहल्ला- बाजबहादुर, पोस्ट- सदर, जिला- आजमगढ़, (2) श्री नागेन्द्र शर्मा पुत्र श्री प्रमोदनाथ शर्मा, पता: ग्राम- सिंघारी, पोस्ट- गोपालपुर, जिला- आजमगढ़ शाखा- वेलइसा, आजमगढ़, खाता सं. -111016680000020	सम्यक बंधक- श्रीमती बिरमिल खातून पत्नी रशीद कुरेशी के नाम रक्षित है। गाटा/प्लाट सं. 0 176, विक्रय विलेख सं. 0 1917, दिनांक 04.07.2007, वार्ड सं. 0 9, मौजा- बाजबहादुर, पोस्ट- सदर जिला- आजमगढ़, क्षेत्रफल- 13.17 कड़ी चौहद्दी: उत्तर- बापूजी मुस्तफा, दक्षिण- गली बादरू इस्माइल व इमरान का मकान, पूरब- गली बादरू शैल अहमद व उस्मानी का मकान, पश्चिम- बाउण्डी मुस्तफा	18.11.2014 23.09.2016	Rs. 287865.00 As on 31.12.2013 + ब्याज एवं अन्य खर्च	1145700/- आरक्षित मूल्य 1,14,570/- ई.एम.डी

विक्रय के नियम एवं शर्तें - 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके ऊपर बिल क्रम संख्या तथा प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना है। 2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (घरोर राशि) अग्रिम रूप से बैंकर्स चेक डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो प्राधिकृत बड़ौदा यू. पी. बैंक के नाम देय हो निविदा पत्र के साथ सलम करे। अधिकतम नीलामी धनराशि ( जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं की घरोर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (घरोर राशि को छोड़कर) 24 घंटे के अन्दर अंतरण के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 65 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए स्वीकृति पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशि जप्त की जा सकती है। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊँची/समस्त निविदा को स्वीकार / अस्वीकार / स्थगित / निस्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ सकता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से संबंधित किसी बाज, लियन, सार, प्रोपर्टी टैक्स, सरकारी ऋण, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्ष कार के क्लेम अधिकारी एवं वेनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती हैं तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उनके बीच आपस में पुनः विडिग कर ले। 8. निविदा / विक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। सम्पत्ति की नीलामी उसकी सम्पत्ती की नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rules, 2002 (By the Security Interest (Enforcement) Amendment Rules) 2002) धारा 13 की उपधारा (8) के अन्तर्गत ऋणी / जमानतदार / बंधककर्ता को नीलामी तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देना है। 9. उन्मोचित करने सम्बन्धी सभी अवसर उपलब्ध है। 10. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु संबंधित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। 11. यह सेल नोटिस ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बंधककर्ता(ओं) के लिये विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिये सामान्य रूप है। 12. विस्तृत जानकारी / विवरणी हेतु बैंक की वेबसाइट <https://www.barodagraminbank.com/sarfaesinotice.php> पर उपलब्ध है।

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

उपरोक्त ऋण ग्रहीता / जमानतदारों / बंधक कर्ता(ओं) / विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस दी जाती कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को कर दें, इसमें असफल रहने पर बन्धक सम्पत्ति की नीलामी नियत तिथि को कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली आपसे ब्याज व लागत सहित की जायेगी।

नोट - प्रकाशन सावधानीपूर्वक किया गया है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित शाखा से संपर्क किया जा सकता है।